भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 431
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- कृषि बीमा दावों का निपटान

431 श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश भर में कृषि बीमा दावों के निपटान का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार प्रतिशत कितना है;

(ख) पिछले दस वर्षों के दौरान फसल नुकसान के लिए किए गए दावों, बीमा दावा भुगतान और किसानों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत शीघ्र दावा निपटान करने के लिए फसल उपज/नुकसान के त्वरित और सटीक आकलन के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) मुख्य रूप से 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के आधार पर क्रियान्वित की जाती है और इस योजना के अंतर्गत किसानों को बहुत ही न्यूनतम प्रीमियम पर बुवाई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक सभी गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध व्यापक जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध कराए गए प्रति इकाई क्षेत्र की उपज के आंकड़ों और प्रीमियम सब्सिडी में राज्य सरकार के अपेक्षित हिस्से की प्राप्ति पर योजना के ऑपरेशनल गाइडलाइंस में परिकल्पित दावा गणना सूत्र के आधार पर, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर डिजीक्लेम मॉड्यूल के माध्यम से बीमा कंपनियों द्वारा स्वीकार्य दावों की गणना की जाती है और सीधे बीमित किसान के खाते में भुगतान किया जाता है। किसानों को इन दावों के संबंध में फसल के नुकसान की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटने और प्राकृतिक आग के कारण होने वाले नुकसान को स्थानीय जोखिमों और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलोपरांत नुकसान की गणना व्यक्तिगत बीमित खेत के आधार पर की जाती है। इन दावों का आकलन राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों वाली एक संयुक्त समिति द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2016 में योजना के आरंभ से, अब तक 1,75,276.32 करोड़ रुपये के कुल दावों का आकलन किया गया है, जिसमें से 1,72,138.36 करोड़ रुपये (98.21%) का भुगतान किया जा चुका है। बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंबित रूप से प्रस्तुत करने; उपज डेटा में विसंगति और राज्य सरकार एवं बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार के हिस्से की निधि प्रदान करने में विलंब आदि के कारण कुछ दावे लंबित रह गए हैं।

पी.एम.एफ.बी.वाई. और आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस. के अंतर्गत योजना के आरंभ से लेकर अब तक किसानों को भुगतान किए गए दावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ग) और (घ) : पीएमएफबीवाई में योजना के कार्यान्वयन में बेहतर प्रौद्योगिकी के उपयोग की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, सरकार ने योजना के त्वरित और सटीक आकलन और निपटान सहित कार्यान्वयन में आधुनिक/उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)** को स्वचालित प्रशासन, सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण को अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है।

- **डिजीक्लेम:** बीमा कंपनियों द्वारा दावों की पारदर्शी गणना और निपटान के लिए, खरीफ 2022 सीजन से "डिजिक्लेम" नामक एक दावा प्रबंधन मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसमें सभी दावों की गणना राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से की जाती है और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का उपयोग कर किसानों के खातों में भुगतान किया जाता है। यह किसान स्तर तक दावों की पूर्ण चक्र निगरानी सुनिश्चित करता है।

- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा के लिए **एनसीआईपी के साथ भूमि रिकॉर्ड का एकीकरण** पूरा हो गया है, जिसमें भूमि रिकॉर्ड एकीकरण के माध्यम से राज्यों के ई-भूमि रिकॉर्ड के माध्यम से अब 90% बीमित क्षेत्र को सत्यापित किया जा रहा है।

- सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा को कैप्चर करना और इसे एनसीआईपी पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की अनुमति देना, एनसीआईपी के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि, ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।

इसके अतिरिक्त, वस्तुपरक फसल क्षति एवं नुकसान आकलन और पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकी पहलों को वर्ष 2023-24 से कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है:

- येस-टेक (तकनीक आधारित उपज अनुमान प्रणाली) धीरे-धीरे रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान में स्थानांतरित हो रहा है, ताकि उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद मिल सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए और खरीफ 2024 से सोयाबीन के लिए शुरू की गई है, जहां उपज अनुमान में न्यूनतम 30% महत्व अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा।

- ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम डेटा एकत्र करने के लिए स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडबल्यूएस) और स्वचालित वर्षा-मापकों (एआरजी) के नेटवर्क के लिए विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के समन्वय में डेटा की अंतर-संचालन और साझाकरण के साथ एडबल्यूएस और एआरजी के एक राष्ट्रीय एकीकृत नेटवर्क में फीड किया जाएगा। विंड्स न केवल येस-टेक के लिए बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करेगा।

- बीमित फसल के साथ बोई गई फसल के सत्यापन के लिए जियो-टैग की गई तस्वीरों के लिए क्रॉपिक (फसलों की वास्तविक समय की तस्वीरों और अवलोकनों का संग्रह) और वस्तुपरक फसल क्षति आकलन और फसल उपज अनुमान के लिए चित्रात्मक विश्लेषण का उपयोग।

अनुबंध

पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत योजना के आरंभ से लेकर अब तक किसानों को भुगतान किए गए दावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
	रुपए करोड़ में							
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.15	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	944.38	740.05	1,890.37	1,253.33			566.86	0.00
असम	5.37	1.22	2.77	107.30	192.19	273.30	16.87	32.73
बिहार	347.85	401.52						
छत्तीसगढ़	159.97	1,391.38	1,087.42	1,303.73	887.23	1,432.83	533.98	518.65
गोवा	0.03	0.01	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	1,267.22	1,075.83	2,778.02	490.48				
हरियाणा	298.23	898.93	948.30	938.00	1,285.51	1,714.26	2,496.89	224.43
हिमाचल प्रदेश	45.26	64.71	55.01	67.55	84.83	77.60	24.40	21.48
जम्मू एवं कश्मीर		9.82	23.64			56.05	6.04	31.87
झारखंड	31.09	47.18	778.77	27.75				
कर्नाटक	2,093.84	856.79	2,987.75	1,515.53	1,030.33	1,489.93	1,561.73	2,184.87
केरल	43.73	10.99	26.74	88.94	122.99	95.20	179.01	0.00
मध्य प्रदेश	2,043.85	5,881.35	3,782.78	6,195.53	7,792.36	2,909.92	1,027.48	565.28
महाराष्ट्र	2,317.85	3,315.69	6,144.15	6,758.35	1,559.65	4,613.47	5,032.19	8,492.49
मणिपुर	1.96	0.67	0.00	1.14	0.00	1.48	1.62	1.98
मेघालय	0.03	0.02	0.22	0.18	0.07		0.01	8.63
ओडिशा	432.75	1,820.12	1,170.50	1,157.72	572.44	1,045.88	568.01	209.03
पुदुचेरी	7.55		0.45	7.27	13.77	8.02	2.95	0.00
राजस्थान	1,917.40	2,242.59	3,454.51	5,087.84	4,357.51	5,176.77	4,141.98	2,066.02
सिक्किम	0.11	0.04	0.00	0.00	0.02	0.53	0.00	0.00
तमिलनाडु	3,646.22	2,097.29	2,663.90	1,214.00	2,681.31	836.07	898.58	704.29
तेलंगाना	179.60	648.43	572.23	507.96				
त्रिपुरा	0.71	1.00	0.02	0.81	2.60	2.63	0.28	0.00
उत्तर प्रदेश	574.57	380.88	469.17	1,084.66	507.06	988.00	945.65	396.62
उत्तराखंड	27.47	39.45	72.38	103.24	134.86	122.86	207.21	46.51
पश्चिम बंगाल	421.69	261.11	535.73					
अखिल भारत	**16,808.85**	**22,187.08**	**29,445.00**	**27,911.32**	**21,224.74**	**20,844.77**	**18,211.73**	**15,504.87**

****